सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-30/2022/2539/22-2-2021-17(91)/2017
लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साजिद अकबर (बन्दी संख्या-47519) पुत्र श्री हकीम अली अकबर, जो- मो0-कटारमल, थाना-चॉदपुर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-325/1992 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश दिनांक 02.09.1994 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2015 द्वारा यथावत रखा गया, की आयु 72 वर्ष 01 माह होने, दिनांक 10.08.2021 तक 06 वर्ष 09 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 11 माह 11 दिन की भोगी गयी सपरिहार सजा, संतोषजनक जेल आचरण, वृद्धावस्था, मेडिकल वोर्ड व पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-30/2022/2539(1)/22-2-2021 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
3- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in